संख्या-44/2015/1387/92-1-2015-12(अधि0)/2015

प्रेषक,

शिशिर कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियंता,
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, लखनऊ: दिनांक: 22 मई, 2015

विषय:- **स्व0 देवी किशोर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, संगणक, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा के स्वयं की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-9053/ग्रा0अ0वि0/बजट/चि0प्रति0/आगरा/ 2014-15, दिनांक 18-3-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कि चिकित्सा अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या-474/पांच-6-14-1082-87टीसी, दिनांक 04-3-2014 के माध्यम से अधिसूचित उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 में निहित प्राविधानो के अंतर्गत स्व0 देवी किशोर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, संगणक, कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा की दिनांक 03-01-2014 से 05-01-2014 तक आगरा मेडिकल एण्ड कारडिस रिसर्च सेन्टर, आगरा में एवं दिनांक 06-01-2014 से दिनांक 19-2-2014 तक रेनबो हास्पिटल, आगरा में करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय के सापेक्ष प्रतिपूर्ति हेतु इंगित की गयी धनराशि रू0-6,07,173.00 (रूपये छः लाख सात हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त से संबंधित समस्त बिल वाउचर्स एवं अनिवार्यता प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न हैं। कृपया इस शासनादेश व संलग्न किये जा रहे समस्त संलग्नकों की प्राप्ति सूचना शासन को लौटती डाक से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नहीं किया गया है तथा यदि इस सम्बन्ध में पूर्व में कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो, तो स्वीकृत की जा रही धनराशि से उसका समायोजन अवश्य कर लिया जाय।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियंत्रण सेवा-49-चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।"

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-44/2015/1387(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, आगरा।
4- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा।
5- श्रीमती निर्मला देवी श्रीवास्तव पत्नी स्व0 देवी किशोर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त, संगणक, निवास-102, शहजादी मण्डी आगरा कैण्ट आगरा-282001 उ0प्र0।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in